

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हापुड़।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 15 जुलाई, 2024

विषय- जनपद हापुड़ में स्थित ब्रजघाट में गंगा नदी के घाटों पर डूबने की घटनाओं को न्यून किये जाने एवं भीड़ प्रबन्धन किये जाने के दृष्टिगत फ्लोटिंग जेटी/बैरिकेड लगाए जाने हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से कुल धनराशि ₹ 2,46,80,000/- (दो करोड़ छियालीस लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-284/जि०आ०प्र०प्रा०-फ्लो० जेटी/2024-25, दिनांक 18-06-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद हापुड़ में स्थित ब्रजघाट में गंगा नदी के घाटों पर डूबने की घटनाओं को न्यून किये जाने एवं भीड़ प्रबन्धन किये जाने के दृष्टिगत फ्लोटिंग जेटी/बैरिकेड लगाए जाने हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से कुल धनराशि ₹ 2,46,80,000/- (दो करोड़ छियालीस लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 19-06-2024 में प्राप्त संस्तुति के क्रम में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 13.03.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तथा जिलाधिकारी, हापुड़ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जनपद हापुड़ में स्थित ब्रजघाट में गंगा नदी के घाटों पर डूबने की घटनाओं को न्यून किये जाने एवं भीड़ प्रबन्धन किये जाने के दृष्टिगत फ्लोटिंग जेटी/बैरिकेड लगाए जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से धनराशि ₹ 2,46,80,000/- (दो करोड़ छियालीस लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, हापुड़ के निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध

- (1) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDM-I, दिनांक 14.01.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। जिलाधिकारी, हापुड़ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाईडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।
- (2) अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराए जाने वाले कार्य जिलाधिकारी, हापुड़ द्वारा सिंचाई विभाग से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार कराया जायेगा।
- (3) स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार वित्तीय हस्त पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व जिलाधिकारी, हापुड़ का होगा।
- (4) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(5) ई-टेण्डरिंग/जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(6) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू० 2,46,80,000/- (दो करोड़ छियालीस लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250-101-05-24 वृहद् निर्माण कार्य मद में स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024--231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by भवदीय,
Ram Kewal (राम केवल)
Date: 15-07-2024 19:40:22
विशेष सचिव

संख्या:-1178(1)/एक-10-2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/ऑडिट प्रथम, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
- 2- मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल।
- 3- स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 4- राहत आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ।
- 6- अधिशाषी अभियन्ता, ड्रेनेज खंड-प्रथम, सिचाई विभाग मेरठ।
- 7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 8- नोडल अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 (बजट आवंटन), उ०प्र० शासन।
- 9- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-18/07/2024

प्रेषण संख्या:- 1178
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1178
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - प्राकृतिक आपदाएं
05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	हापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	24680000 24680000	24680000 24680000
	योग	वर्तमान प्रगामी	24680000 24680000	24680000 24680000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ छियालीस लाख अस्सी हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ छियालीस लाख अस्सी हजार



(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।